

दिनांक—09.01.2023

दण्ड प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं०—416/2022 ममता देवी प्रति राज्य कागज संख्या 3ख प्रस्तुत हुआ। प्रार्थिनी/वादिनी मुकदमा ममता देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दण्ड प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र पर बल नहीं दिया गया है। अतः दण्ड प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं०—416/2022 ममता देवी प्रति राज्य बल न दिये जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश
(पाक्सो एक्ट), औरैया।